न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)
पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

दावा सख्या
299/2020

रजू दिनांक
10.12.2020

निर्णय दिनांक
12.02.2024

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(भूमिधारी),नीमराना जिला अलवर।

:–वादी।

बनाम

1. कैलाशचन्द पुत्र हरजस जाति अहीर निवासी ग्राम माजरी कलां तह0 नीमराना।

:– प्रतिवादी।

दावा अंतर्गत धारा 177 आर0टी0एक्ट0 1955

उपस्थितीः– 1 पैरोकार सरकार वादी की ओर से ।
2 श्री नितिन यादव एड0 प्रतिवादी की ओर से।

–::निर्णय::–

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. वादी ने वाद पेशकर निवेदन किया कि हाल आराजी ख.नं 1346/0.13 किस्म बरानी राजस्व ग्राम माजरीकलां तह0 नीमराना मे स्थित है। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2073–76 उक्त आराजी प्रतिवादी के नाम खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है, जो कृषि भूमि है। पटवारी हल्का नीमराना द्वारा दिनांक 23.09.2020 को इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि उक्त वर्णित ख.नं. 1346/0.13 हैक0 पर बिल्डिंग निर्माण कर स्कूल संचालन किया जा रहा है। इसलिए उक्त भूमि को अकृषि के उपयोग मे ली जा रही है। जिस हेतु प्रतिवादी ने कृषि भूमि को संपरिवर्तन का कोई सक्षम आदेश प्राप्त नही कर रखा है तथा मौके पर यह कृषि भूमि अब पुनः कृषि करने योग्य नही है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस संलग्न है।
2. राज्य सरकार की ओर से खातेदारान को कृषि भूमि मे कृषि करने का ही अधिकार प्रदान किया गया है। प्रतिवादी द्वारा उक्त कृषि का स्वरूप परिवर्तन बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के कर लिया है। जिससे राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई है। प्रतिवादी के इस कृत्य की देखा देखी मे अन्य लोगों द्वारा भी इसी प्रकार कृषि भूमि का स्वरूप खराब किया जा सकता है जिससे भविष्य मे कृषि संबंधी उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। साथ ही अवैध अवैध कालोनियों की स्थापना हो जाएगी जो भविष्य मे क्षेत्र के विकास मे बाधक होगी।
3. अतः वादी वादपत्र अंतर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट. पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी ख.नं. 1346/0.13 वाके ग्राम माजरीकलां मे संपूर्ण भूमि पर बिना किस्म संपरिवर्तन आदेश के बिल्डिंग का निर्माण कर स्कूल संचालन किया जा रहा है इसलिए उक्त भूमि को राजकीय भूमि घोषित किया जावे।
4. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। बाद तामिल प्रतिवादी ने वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया कि वादी का वाद गलत है, स्वीकार नही है। प्रतिवादी ने प्रतिवादी सं. 01 ने ख.नं. 1346/0.13 वाके ग्राम माजरीकलां भूमि के संपरिवर्तन हेतु आवेदन किया हुआ हे जो प्रकियाधीन है। इसलिए भी वादी का वाद काबिल खारिज है वाद खारिज फरमाया जावें। इससे संबंधित समस्त पत्र आदि जो राज्य कियाकलापों से संवधित थे वो सभी तहसील कार्यालय नीगराना मे पेश कर दिए थे । प्रतिवादी को बेवजह तंग व परेशान करने की गर्ज से गलत मौका रिपोर्ट तहसीलदार साहब के समक्ष पेश की है। अतः जवाब स्वीकार किया जाकर वाद वादी मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।
5. जवाब दावा पेश होने पर वकील प्रतिवादी को सुना गया। वकील प्रतिवादी ने जवाब मे अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया की विवादित आराजी के किस्म

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

परिवर्तन की कार्यवाही की जा रही है जिसकी अधिसूचना भूमि में स्कूल चल रहा है ऐसा प्रस्ताव भी किसी भी प्रकार की कोई राजस्व हानि नहीं पहुंचाई जा रही है। प्रतिवादी द्वारा कोई स्कूल संचालित नहीं किया जा रहा है परन्तु राजस्थान व्यावसायिक प्रस्ताव स्कूल शिक्षा (ग्रुप 6) विभाग क्रमांक प0(1)शिक्षा–6/भूमि रूपान्तरण/2016 जयपुर दिनांक 04.01.2017 जिसमें नियम सं0 02 के उप नियम 02 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि " ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम 2007 में 01 पृथक शैक्षणिक एवं चिकित्सा प्रयोजनार्थ अथवा विद्यालय की स्थापना हेतु भूमि संपरिवर्तन की आवश्यकता नहीं होने का राजस्थान अधिसूचना क्रमांक प0६(३६) राजस्व 06/2014/33 दिनांक 06.10.2016 द्वारा किया गया है अतः ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित भूमि पर एक पृथक तक संपरिवर्तन की आवश्यकता नहीं। परन्तु प्रतिवादी द्वारा भूमि रूपान्तरण हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है। इसलिए वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है:–

तनकी संख्या 01– आया आराजी ख0नं0 1346/0.13 वाके ग्राम माजरीकलां तह0 नीमराना में स्थित है? इस तनकी का भार वादी पर था वादी। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2075–76 के अवलोकन से साबित है कि उक्त आराजी वाके ग्राम माजरी कलां तह0 नीमराना में स्थित है। जो प्रतिवादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अतः यह तनकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी संख्या 02– आया भूमि कृषि प्रयोजनार्थ है? इस तकनी का भार वादी पर था। वाद के संलग्न जमाबंदी के अनुसार आराजी विवादित कृषि भूमि है। अतः यह तनकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी संख्या 03– आया उक्त भूमि पर बिल्डिंग निर्माण कर स्कूल संचालन किया जा रहा है। उक्त भूमि अकृषि प्रयोगार्थ उपयोग मे ली जा रही है? इस तनकी का भार भी वादी पर था। प्रतिवादी के वकील ने दौराने बहस बताया कि विवादित आराजी मे कुछ हिस्से पर भवन निर्माण किया हुआ है। उक्त आराजी अकृषि मे नही ली जा रही है। प्रतिवादी द्वारा नियमानुसार भूमि को रूपान्तरण कराये जाने के लिए पत्रावली पेश की हुई है। पत्रावली मे प्रस्तुत भू संपरिवर्तन के लिए प्रस्तुत चैक लिस्ट की छायाप्रति अनुसार यह साबित है कि उक्त भूमि के रूपान्तरण हेतु आवेदन पेश किया हुआ है। ऐसी स्थिति मे यह तनकी विरूद्ध वादी बहक प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी संख्या 04– आया कृषि भूमि का स्वरूप खराब करने पर यह कृषि उपयोग योग्य नही रहेगी? इस तकनी का भार वादी पर था। तनकी नं0 03 मे किये गये विवेचनानुसार प्रतिवादी द्वारा भूमि रूपान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। इसलिए यह तनकी भी बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी तय की जाती है।

तनकी संख्या 05– आया उक्त भूमि मे बिना संपरिवर्तन के स्कूल संचालन किया जा रहा है। इसलिए उक्त भूमि को राजकीय घोषित किया जावे? –जिम्मे वादी। पत्रावली मे प्रस्तुत पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 23.09.2020 के अनुसार उक्त भूमि पर निर्मित भवन मे कोई स्कूल संचालित नही है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार यह तनकी विरूद्ध वादी तय की जाती है।

तनकी संख्या 06– आया कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की फाईल लगा रखी है जिसकी प्रोसिडिंग पूर्ण होने मे समय लगेगा। गलत रिपोर्ट के आधार पर दावा पेश किया है जो खारिज योग्य है।– जिम्मे प्रतिवादी। इस तनकी का भार प्रतिवादी पर था प्रतिवादी द्वारा इस तनकी को सिद्ध करने के लिए भू संपरिवर्तन के आवेदन पत्र की चैकलिस्ट की छायाप्रति पेश की है। तथा ग्राम पंचायत माजरीकलां के अनापत्ति पत्र की छायाप्रति,सहायक अभियंता विद्युत विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 11.03.2022 की छायाप्रति पेश की इन दस्तावेजात के आधार पर इस तकनी को प्रतिवादी सिद्ध करने मे सफल रहा है। इसलिए यह तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

7. उपरोक्त तनकीवार किये गये विवेचनानुसार वाद वादी साबित नही होता है वाद वादी खारिज किया जाना कानूनसंगत व न्यायोचित प्रतित होता है।

8. **अतः आदेश है कि:–**

वाद वादी अंतगर्त धारा 177 आर0टी0एक्ट0 बावत आ.ख.नं. 1346/0.13 वाके ग्राम माजरीकलां तह. नीमराना सिद्ध नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिले लेख भंडार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 12.02.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

12-02-202

पकंज बडगुजर (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
299 / 2020	10.12.2020	12.02.2024

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(भूमिधारी),नीमराना जिला अलवर।

:–वादी।

बनाम

1. कैलाशचन्द पुत्र हरजस जाति अहीर निवासी ग्राम माजरी कलां तह0 नीमराना।

:– प्रतिवादी।

दावा अंतर्गत धारा 177 आर0टी0एक्ट0 1955

उपस्थितीः–

1 पैरोकार सरकार वादी की ओर से ।
2 श्री नितिन यादव एड0 प्रतिवादी की ओर से।

पर्चा डिक्री

वाद वादी अंतगर्त धारा 177 आर0टी0एक्ट0 वाक्त आ.ख.नं. 1346/0.13 वाके ग्राम माजरीकलां तह. नीमराना सिद्ध नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

12.02.2024

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)